

आदेश नं. इ/असास/प्रकाश/संविधुमेहित/आई/एएस/सिआ/आस/एएस/एई/सिआ/संविधुमेहित, जयपुर  
प्रकरण संख्या 126/2022 (बाप नं. सिआ/सिआ/आई/एएस/सिआ/संविधुमेहित)  
राजकीयन स्थान काईनेस बैंक, शाखा- दुर्गा नं. 11, बुरग नं. प्रथम तल, मुख्य विभाग, टॉक  
सेंट्र, सांगानेर, जयपुर।

प्राची वित्तीय संस्था/बैंक


समाप्त

1. श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री कैलाश शर्मा,
2. श्रीमती रामोदरी देवी पत्नी श्री कैलाश शर्मा,

वसता- 848, साकोला का भीरुल्ला, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीनग

श्री एन एन एन



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

संप्रतिष्ठ -

1. श्री सचिव श्री शशिभद्रा, अधिवक्ता प्राची वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक : 24.04.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राची वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी शर्मा को दिनांक 24.10.2017 को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती रामोदरी देवी पत्नी श्री कैलाश शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति सखन नं. 848, साकोला का भीरुल्ला, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 01.07 वर्गमीटर को बंधक रख कर कुल राशि 4,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी शर्मा द्वारा प्राची वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी शर्मा को दिनांक 09.02.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राची वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक/हाईपोथिकेटेड उच्च सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इनदार उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राची वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मतीमांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राची वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीनग को कुल राशि 4,50,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीनग ने समस्त वर्गीकृत सम्पत्ति प्राची वित्तीय संस्था/बैंक के पास निरखी रखी है। अप्रार्थीनग का ऋण खाता एन. पी.ए. श्रावित होने से निम्नानुसार ऋण बसूली के तिर बकाया ऋण राशि 04,37,576/- रुपये की ऋण सुविधा जाना कराने हेतु अप्रार्थीनग को दिनांक 09.02.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीनग द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बंधक/हाइपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती दामोदरी देवी पत्नी श्री कैलाश शर्मा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति मकान नं.848, डाकोता का मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 61.07 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 24.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर